Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 170: Rounding off of tax, etc.

The amount of tax, interest, penalty, fine or any other sum payable, and the amount of refund or any other sum due, under the provisions of this Act shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise it shall be ignored.

धारा 170 : कर का पूर्णांकन, आदि

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माने की रकम या किसी अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या किसी अन्य शोध्य राशि को निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित किया जाएगा और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रुपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।